95/17 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 95/2017 अनवानी नविता पुत्री अमरचंद जाति बिश्नोई नि0 घड़साना हाल एसएच 7, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर हाल 404 ए ब्लॉक, फ्रैण्डस पैराडाईज अपार्टमेंट, इन्द्रा विहार कॉलोनी, नीयर ऐलन, कोटा बनाम 1—श्योराम वर्मा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना 2—सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीएमबी पंचायत समिति घड़साना 3—भागवन्ती पत्नि रामकुमार 4—सरिता पुत्री रामकुमार 5—पुनितकुमार पुत्र रामकुमार अकवाम बिश्नोई निवासीयान 4च14 जवाहरनगर, जयपुर 6—देवेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवसी प्लाट न0 ए 107 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड़, जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.11.2017

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में प्रार्थीया ने एक अपील संख्या 11/2014 इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से चक 7 जीडीबी तहसील घड़साना के मु0न0 21 का कि0न0 25 की 0.228 हे व मु0न0 24 की 2.277 हे0 व मु0न0 25 की 3.036 हे0 कुल 5.541 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि का ईन्तकाल संख्या 70 रेस्पों0 संख्या 2 ता 5 के नाम से विरास्तन दर्ज किया गया है को निरस्त किया जावे, जिसमें दिनांक 26.09.2017 निश्चित थी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी सं0 6 देवेन्द्रकुमार का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क हो चुका है पिछली कुछ पेशियों पर अप्रार्थी देवेन्द्रकुमार को घड़साना जाकर पीठासीन पधिकारी से मिलते देखा गया है जिस कारण प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अप्रार्थी सं0 6 का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क के बाद से दिनांक 15.9.17, 18.9.17, 19.8.17 की लगातार पेशीयां दी जा रही है जिससे भी साफ जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण की एकतरफा मदद करना चाहते है और पीठासीन अधिकारी ने भी न्यायालय में ऐसा इजहार किया है कि वादीया/प्रार्थीया की अपील खारिज कर दी जावेगी। अप्रार्थी सं0 6 ने भी पिछली पेशी पर ऐलानिया कहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से सैटिंग हो गयी है इसलिए फैसला उनके पक्ष में ही होगा। इस प्रकार प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की आशा नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त अपील अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल की जावे।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

95/17 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थीया के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया के मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं साथ में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में अपील संख्या 11/2014 नविता बनाम ग्राम पंचायत 2 जीएमबी वगैरा लंबित है। प्रार्थीया ने उक्त लंबित अपील को इस आधार पर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थी सं0 6 देवेन्द्रकुमार का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क हो गया है और पीठासीन अधिकारी एकतरफा उनकी मदद करना चाहते है। जिस कारण उसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। प्रार्थीया द्वारा लगाया गया उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीया का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर